UPBS120006172021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 481/2021

तुलसीराम बनाम बाबूराम आदि

13.10.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति प्रदर्शित सूची मद 'अ' के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10 ग 1 द्वारा छायाप्रति परिवार रजिस्टर कागज सं० 11 ग 1, छायाप्रति कोर्रा आबादी हिन्दी अनुवाद कागज सं० 12 ग 1 व 13 ग 1, छायाप्रति नक्शा आबादी 14 ग 1, छायाप्रति खसरा आबादी 15 ग 1, छायाप्रति वसीयतनामा कागज सं० 17 ग 1/1 लगायत 17 ग 1/3 दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। पक्षकार एक ही वंशवृक्ष के सदस्य हैं। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक–27.10.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8 ग 2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।